



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092021-229604
CG-DL-E-15092021-229604

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3387]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 13, 2021/भाद्र 22, 1943

No. 3387]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 13, 2021/BHADRA 22, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2021

का.आ. 3699(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट NH44 के कि.मी. 130 कि.मी. से 151 कि.मी. तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनएच-44 के कि.मी. 130.000 से कि.मी. 151.000 (उधमपुर-रामबन सैक्शन) तक की भूमि का अर्जन

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम				
1	2	3	4	5	6	7				
1	उपायुक्त	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH44 के	जम्मू और कश्मीर	रामबाण	रामबन	<table><tr><td>1</td><td>कान्थी</td></tr><tr><td>2</td><td>नेरा</td></tr></table>	1	कान्थी	2	नेरा
					1	कान्थी				
2	नेरा									

		कि.मी. 130 से 151 तक				3 चन्द्रकोट 4 सावनी 5 कुन्डी (करोल) 6 डलवास डैनो (डलवास) 7 कुन्फर 8 रामबन
--	--	----------------------------	--	--	--	---

[फा. सं. NHAI/PIU-Ramban/2019/11001]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th September, 2021

S.O. 3699(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 130 to Km. 151 of the NH44 for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of JAMMU & KASHMIR

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No.44 Km. 130.000 to 151.000 (Udhampur-Ramban Section)
in Jammu & Kashmir (Union Territory)

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Deputy Commissioner	130 KM. To 151 KM.	JAMMU & KASHMIR	RAMBAN	Ramban	1 Kanthi 2 Nera 3 Chanderkote 4 Savani 5 Kundi (Karol) 6 Dhalwas Dhaino (Dhalwas) 7 Kunfer 8 Ramban

[F. No. NHAI/PIU-Ramban/2019/11001]

RAJESH GUPTA, Director